राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी(SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141.2227033

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्रमांकः एफ 61(10) SSAAT / लोकपाल /2022-2023/1393 जयपुर ,दिनांक 22/06/2023

कार्यालय आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के क्रियान्वयन से संबंधित जन अभाव अभियोग निराकरण के लिए लोकपाल नियोजन हेतु, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 23/12/2021 में उल्लेखित राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा पर कार्यालय आदेश कमांक एफ 61 (197) SSAAT/ लोकपाल नियुक्ति/ 2021-2022/ 8299 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा 11 जिलों में सर्वप्रथम एक वर्ष के लिए लोकपाल नियुक्ति किया गया था। एक वर्ष के प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर इन 11 जिलों के लोकपाल की कार्यावधि निम्नानुसार बढायी जाती है :–

1. जिला बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बाडमेर, भरतपुर, तथा जालौर के लोकपाल की समयावधि एक वर्ष के लिए और (कुल दो वर्ष) बढायी जाती है।
2. जिला बांसवाडा, डूंगरपुर एवं हनुमानगढ के लोकपाल की समयावधि को एक वर्ष के लिए और (कुल दो वर्ष) बढाते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्य प्रदर्शन को और बेहतर करे।
3. जिला अलवर के लोकपाल की समयावधि तीन माह के लिए बढायी जाती है। प्रत्येक माह को उनके कार्य की समीक्षा की जायेगी। तदनुसार आगामी अवधि को बढाने पर निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार लोकपाल की समयावधि ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोकपाल के संशोधित दिशा निर्देश दिनांक 20.03.2023 में उल्लेखित शर्तों एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के अध्याधीन होगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.03.2023 के बिन्दु संख्या 2.2.13 के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा पर लोकपाल को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकेगा।

22/6

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांकः एफ 61(10) SSAAT / लोकपाल /2022-2023/1394-1402 जयपुर ,दिनांक 22/6/23

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रषित है:–

01. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
02. निजी सचिव, आयुक्त EGS, जयपुर।

Scanned with CamScanner

03. निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।

04. निजी सचिव, संबंधित जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस, अलवर, जयपुर, झुंझुनु, सीकर, बाडमेर, भरतपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, हनुमानगढ, बीकानेर एवं जालोर।

05. संबंधित अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वय ईजीएस, अलवर, जयपुर, झुंझुनु, सीकर, बाडमेर, भरतपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, हनुमानगढ, बीकानेर एवं जालोर।

06. संबधित लोकपाल।

07. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय (समस्त)

08. प्रोग्रामर/ सूचना सहायक (SSAAT) को पालनार्थ।

09. रक्षित पत्रावली।.

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

Scanned with CamScanner